न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 137/23 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/157)

1. मोरपाल पुत्र काना जाति माली निवासी ग्राम जोलन्दा, तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।
2. रामलाल पुत्र काना जाति माली (मृतक)
   - 2/1 लालू प्रसाद पुत्र रामलाल
   - 2/2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामलाल
   - 2/3 कजोडी देवी पत्नी रामलाल
   - 2/4 तुलसा बाई पुत्री रामलाल
   - 2/5 कमली बाई पुत्री रामलाल
   - 2/6 विमला बाई पुत्री रामलाल
   - 2/7 मौसमी पुत्री रामलाल
   - 2/8 रोशनी पुत्री रामलाल

   जातियान माली निवासीयान ग्राम जोलन्दा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर (राजस्थान)

.....अपीलान्टस

बनाम

1. उमराव पुत्र मूलचंद
2. इन्द्रा पत्नी उमराव

   जातियान माली निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।
3. लैण्ड हौल्डर तहसीलदार तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 1.2.2018 व सिलसिले प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स प्रकरण संख्या 77/17 मोरपाल बनाम उमराव वगैरह।

उपस्थितिः–

1. श्री शिवचरन सोनी वकील अपीलान्ट।
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील रैस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः–31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 1.2.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्टस की ओर से द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ, भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत रैस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 को दिनांक 11.2.2004 को ग्राम खिरनी तहसील तहसील बौली के आराजी खसरा नम्बर 1088/2/1 व खसरा नम्बर 1088/2 रकबा 11 विस्वा भूमि के किये गये आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुये भूमि आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा वाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.2.2018 पारित करते हुये अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र 14(4) अस्वीकार कर आवंटी रैस्पोडेन्ट

संख्या 1 व 2 उमराव पुत्र मूलचंद व इन्द्रा पत्नी उमराव के पक्ष में दिनांक 11.2.2004 को ग्राम खिरनी में किया गया आवंटन यथावत रखा गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2018 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2018 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1088/1 रकबा 1 बीघा 2 विस्बा एवं खसरा नम्बर 1088/2 रकबा 5 विस्बा वाकै ग्राम खिरनी पर अपीलान्टस का पिछले 60 सालों से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वजों का कब्जा काश्त था तथा वर्तमान में अपीलान्टस का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर अपीलान्टस की सरसों की फसल सरसब्ज खडी है। जिसे गौर किये बिना ही तहत अदालत के द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम किये गये आवंटन को यथावत रखने में अहम भूल की गई है। इसलिए उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजी की खसरा परिवर्तनशील एवं पेनल्टी की रसीदें सम्वत 2027 से 2039 तक अपीलान्ट संख्या एक के पिता के भाई ग्यारसा पुत्र गेन्दा के नाम दर्ज है जिसे गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1088/1 एवं 1088/2 के वर्तमान खसरा नम्बर 9855 रकबा 0.25 है0 सेटलमेन्ट के दौरान बनाये गये हैं। वर्तमान खसरा नम्बर 9855 रकबा 0.25 हैक्टेयर के इर्द गिर्द खसरा नम्बर 9856 एवं 9854 अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। जिसे गौर किये बिना ही तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। रैस्पोडेन्ट को आवंटन की तारीख दिनांक 11.02.2004 से पूर्व से ही आज दिनांक तक रैस्पोडेन्ट संख्या एक व दो का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। इस बाबत पंचनामा एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा मंगवायी गई थी जिसमें दिनांक 24.01.2017 पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट का ही कब्जा होना दर्शाया गया है। जिसे गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की गई है, परन्तु इस बिन्दु को भी अदालत मातहत द्वारा नहीं देखा गया। रैस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के परिवार में पन्द्रह बीघा खातेदारी की भूमि से अधिक भूमि होने के कारण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं होने के बाबजूद भी उक्त आवंटन को बहाल रखा गया है, जो कि निरस्तनीय है। यद्यपि विवादित भूमि का रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण गैर खातेदारी दर्ज किया गया है, परन्तु आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आज दिनांक तक खातेदारी दर्ज नहीं की गई है। अंदालत मातहत ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया। अपीलान्ट संख्या 1 के पैरालाईसिस हो जाने से तथा अपीलान्ट संख्या 2 व 3 के पिता तथा चार के पति व 5, 6, 7, 8, 9 के पिता का स्वर्गवास हो जाने से

अधीनस्थ योग्य अदालत के निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। जब अपीलान्ट संख्या 1 के सवाईमाधोपुर दिनांक 02.02.2021 को अदालत में आने पर अपने वकील साहब से पूछताछ की तब सर्वप्रथम जानकारी हुई इसके बाद अपीलान्ट ने नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाकर नकल प्राप्त की एवं जानकारी होते ही अदालत हाजा में अपील पेश कर दी गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। आवंटन सलाहकार समिति की ओर से ख0नं0 1088/2/1 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा तथा ख0न0 1088/2 रकबा 5 विस्वा वाकै ग्राम खिरनी का होना दर्शाया है जबकि कब्जा रिपोर्ट में 11 विस्वा अंकित किया गया है। इस विन्दु पर भी अदालत मातहत ने गौर नहीं किया। रैस्पोडेन्ट की ओर से आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र भी अपूर्ण भरा हुआ था। जिसमें तारीख एवं स्थान का अंकन नहीं है इस पर भी गौर नहीं किया गया। विवादित आराजी वर्तमान ख0नं0 9855 रकबा 0.25 है0 वाकै खिरनी की सिंचाई अपीलान्ट अपनी खातेदारी के ख0नं0 10004 गै0मु0 चाह से सिंचाई कर फसल काश्त करते आ रहे हैं। इस तथ्य पर भी अदालत मातहत द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2018 निरस्त किया जावे तथा उप जिला कलक्टर बौंली द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 11.02.2004 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्टस ने तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2018 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत हुए रिकार्ड का अवलोकन व परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा विवादित भूमि का आवंटन किये जाने हेतु उप जिला कलक्टर बौंली के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के तहत विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर उप जिला कलक्टर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेने व भू–अभिलेख निरीक्षक की अभिशंषा प्राप्त होने के बाद आवंटन सलाहकार समिति जिसमें उपखण्ड अधिकारी बौंली के अलावा सरपंच ग्राम पंचायत खिरनी, विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली, पंचायत समिति के मनोनीत सदस्य, तहसीलदार मलारनाडूंगर की अभिशंषा के बाद रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को विवादित भूमि आवंटित किये जाने का आदेश दिया गया है। आवंटन के पश्चात स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष पटवारी हल्का ने अभिलेख निरीक्षक की मौजूदगी में रैस्पोडेन्टस को आवंटित भूमि का कब्जा संभलवाया था। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार रैस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि पर उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त होना बताया गया है, लेकिन अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख/साक्ष्य अदालत मातहत में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि रैस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि पर आवंटन के समय सम्वत 2061 में अपीलान्ट तथा अपीलान्ट के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त रहा हो। चूंकि तहत अदालत ने बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2018 को पारित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से बेबुनियाद तथ्यों पर अदालत का समय जाया करने के उद्देश्य से उक्त अपील पेश की गई है। अपीलान्ट के पास ऐसा कोई तर्क अथवा ठोस साक्ष्य सबूत नहीं है, जिससे उक्त आवंटन को इल्लीगल माना जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मय हर्जा खर्चा खारिज की जावे तथा रैस्पोडेन्ट को आवंटन सलाहकार समिति की ओर से दिनांक 11.02.2004 को किये गये आवंटन को यथावत रखते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2018 को यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2018 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 17.02.2021 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.02.2001 को अदालत मातहत में आने पर होने पर नकल हेतु आवेदन करने व नकल प्राप्त होते ही जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में आवंटन नियमों के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि रैस्पोडेन्ट को आवंटन सलाहकार समिति बौंली की ओर से दिनांक 11.02.2004 को आवंटित भूमि पर 60 वर्षों से अपीलान्ट के पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रैस्पोडेन्टस का

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन निर्णय में यह माना है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेने, भू–अभिलेख निरीक्षक की अभिशंषा प्राप्त करने के बाद आवंटन सलाहकार समिति की ओर से रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को भूमि आवंटित की गई है। आवंटन के पश्चात गवाहों व भू–अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति में पटवारी हल्का ने रैस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि का कब्जा संभलवाया है। अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई राजस्व अभिलेख या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे स्पष्ट होता हो कि रैस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि पर अपीलान्टस का वक्त आवंटन या उससे पूर्व पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त रहा हो। उक्त निर्णय में हम किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं पाते हैं, क्योंकि रैस्पोडेन्टस की ओर से आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष ग्राम खिरनी के खसरा नंबर 1088/2 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा व 1088/2 रकबा 5 विस्वा आवंटित किये जाने हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर पटवारी हल्का ने रैस्पोडेन्ट के पिता के खाते में 15 बीघा 2 विस्वा भूमि होने व रैस्पोडेन्ट के हिस्से में 1 बीघा 18 विस्वा भूमि आने की रिपोर्ट पेश की गई। जिसकी जॉच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये जाने के बाद आंवटन सलाहकार समिति की ओर से रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवेदित भूमि को आवंटन किये जाने के आदेश दिया है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत रिकार्ड में रैस्पोडेन्ट को कब्जा दिये जाने की रिपोर्ट भी संलग्न है। जहां तक रैस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने का प्रश्न है तो केवल मात्र अतिक्रमण होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि सिवायचक भूमि को किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता। रैस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि वर्तमान में रैस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में दर्ज होने का स्वयं अपीलान्ट ने स्वीकार किया है। फिर भी यदि रैस्पोडेन्ट की ओर से आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है तो भूमिधारी तहसीलदार की ओर से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट को आवंटन सलाहकार समिति की ओर से नियमानुसार भूमि आवंटित की गई है। जिसमें विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने रैस्पोडेन्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा है, में कोई अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर